प्रस्तुत पेश कर दी गयी है मूल
अवस्था रिकार्ड और पर्चा मौका के
संबंध करें। प्राथमिक डिक्री जारी है
आदेश पत्रकारान अपना-अपना बहस
करें। पत्रावली प्राथमिक डिक्री
सुनाना तिथि दिनांक 8/3/2023
को पेश हो।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

8/12/22
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 2/2/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 6/4/22 को पेश हो।

6/4/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर
मय कागजात ले पत्रांक 1021/225/4 3/22
से। रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस रेकार्ड पालिश
करना है। तहसीलदार राशमी ने बताया की आ0
न0 893 रकबा 0.06 है. पर दुकान बनी हुई
होकर उस भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं
ले रही है। मौके पर वादी व प्रतिवादी का
कब्जा काश्त नहीं है उस आराजीयात का कुछ भाग
ही दुकानदारी होकर दुकान बनाकर विक्रय
किया जाना बताया है ऐसी स्थिति में विभाजन
प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। पत्रावली
का अवलोकन किया। मनन किया। तहसीलदार राशमी
ने प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त आ0 न0
893 रकबा 0.06 है, मौके पर कृषि कार्य में उपयोग
में ना आकर दुकानदारी होकर दुकान बनी हुई
है एवं वादी व प्रतिवादी का कब्जा काश्त भी नहीं
होने से अधिवक्ता वादी का वाद पत्र अनीत धारा 53
B.T.A 1955 को आधीन किया जाता है। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया जावे।

नीता

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.04.26 15:37:35 IST
Reason: SelfAttested